न्यायालय सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना

पीठासीन अधिकारी — हनुमानाराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 48 / 2017

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थीगण**

छोगा पुत्र टीकमा जाति मेघवाल
निवासी रीडियाधोरा हेमागुड़ा
तहसील चितलवाना

1. आसुराम पुत्र उमाराम
2. मसराराम पुत्र उमाराम
3. जगदीश पुत्र उमाराम
4. सुन्दर बैवा उमाराम
5. भूदराराम पुत्र भावा उर्फ भावला
6. केसाराम पुत्र भूराराम
7. चेतनराम पुत्र भूराराम
8. आसीदेवी बैवा भूराराम
9. कुम्बा पुत्र टीकमा
   जातियान मेघवंशी निवासीगण
   रीडियाधोरा हेमागुड़ा
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
    (भूमिधारी) चितलवाना
11. शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण
    बैंक शाखा झाब

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act

उपस्थित :—

1— प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री विजय कुमार सिंह राठौड़।

2— अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की ओर से श्री प्रकाश विश्नोई।

3— अप्रार्थीगण संख्या 10 व 11 एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक 20/09/2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रीडियाधोरा, हेमागुड़ा तहसील चितलवाना मे नवीन खसरा संख्या 169 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा संख्या 170 रकबा 14.03 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 171 रकबा 0.15 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 451 रकबा 0.84 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 15.03 हैक्टर स्थित है।
2. यह है कि उक्त भूमि जो प्रार्थी के पिता टीकमा वल्द अनाजी के नाम की पुश्तैनी भूमि है जो खेत खसरा संख्या 578, 579, 600, 580 आदि थे, जिनसे दौराने नवीनल सैटलमेंट मे नये खसरा नम्बर 169, 170, 171, 451 कुल रकबा 15.03 हैक्टर सृजित किए गये। नकल पुरानी जमाबंदी, नक्शा व नजरी नक्शा तथा मिलान क्षैत्रफल एवं नई जमाबंदी व नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र श्रीमानजी की सेवामे अवलोकनार्थ पेश है।
3. यह है कि टीकमा वल्द अनाजी के चार पुत्र जिसमे सबसे बड़ा भावा, कला तथा प्रार्थी छोगा व कुम्बा है। जिसमे प्रार्थी छोगा व अप्रार्थी कुम्बा जीवीत है तथा भावा व कला फौत हो गये है। भावा [illegible] जिसमे उमा फौत हो गया तथा उमा के पीछे अप्रार्थीगण आसुराम, [illegible] जगदीश पुत्र तथा सुन्दर बैवा औरत वारिसान है। तथा [illegible] था जो भी फौत हो गया है तथा उ[illegible] तथा आसीदेवी बैवा औरत वारिसांन है। इस प्रकार [illegible] प्रार्थी छोगा 1/4 हिस्सा [illegible] व कब्जासुदा का आया हुआ है। तथा प्रार्थी अ[illegible] बंट व हिस्से की भूमि में [illegible] मय परिवार ढाणी बनाकर निवास करता है। तथा वादग्रस्त आराजी का टीकमा वल्द अनाजी ने अपने जीवनकाल मे ही पुत्रो में माफिक हिस्सा अनुसार मौखिक रूप से बंटवाड़ा कर भूमि अलग—अलग बंट मे दे दी थी, तब से प्रार्थी अपने 1/4 हिस्से की भूमि मे काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर—चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी—चितलवाना)

न्यायालय सहायक कलेक्टर चितलवाना जिला जालोर

4. यह है कि प्रार्थी ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि को समतल आदि कर उपजाउ व उपयोगी बनाया तथा प्रार्थी अपने बंट की भूमि मे मय परिवार निवासरत है एवं मौके पर प्रार्थी खेतीबाड़ी करता आ रहा है तथा प्रार्थी अपने बंट की भूमि की सदैव राज्य सरकार को बिगौड़ी भी अदा करता है।

5. यह है कि मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के आपसी बंटवाड़ा कई सालो पूर्व हो गया है मगर राजस्व रेकर्ड मे भूमि सामलाती दर्ज होने के कारण आये दिन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तथा किसान केडिट कार्ड आदि बनाने मे भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा सभी सहखातेदारान की सहमति की हर वक्त जरूरत पड़ती है, जिस कारण प्रार्थी बंट व हिस्से की भूमि को जरिये बंटवाड़ा अलग करवाना चाहता है, सो एतदर्थ दावा बाबत बंटवाड़ा का श्रीमानजी की सेवामे पेश किया जा चुका है।

6. यह है कि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी ने अभी प्रशासन गांवो के संग अभियान मे अप्रार्थीगण को सहमति का बंटवाड़ा करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण टालमटोल करने लगे। अभी दस रोज पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बिना भू–विभाजन करवाए वादग्रस्त आराजी मे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण करवाने पर आमादा होने से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को भू विभाजन करवा कर उनकी भूमि मे ही अवास निर्माण का कहने पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये तथा प्रार्थी को ऐलानिया धमकीया दी कि हम बिना बंटवाड़ा के तेरे बंट की भूमि मे प्राधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का जबरन निर्माण करवायेगे। ऐसी सूरत मे अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायसंगत होने से दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमानजी की सेवामे पेश किया जा चुका है।

7. यह है कि वादग्रस्त आराजी का रेकोर्डेड खातेदार है। इस प्रकार प्रार्थी कानूनिया अपने बंट की भूमि को जरिये बंटवाड़ा अलग करवाने का अधिकारी होने से प्रार्थी ने माननीय न्यायालय मे दावा बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का मजबूत आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें सफल होने की प्रार्थी को पूर्णरूप से सम्भावना है। मगर मूल वाद के निर्णय में लंबा समय लगेगा, ऐसी सूरत मे यदि अप्रार्थीगण को अविलम्ब जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो अप्रार्थीगण बिना भू–विभाजन करवाए प्रार्थी के कब्जा व बंटसुदा की आराजी मे जबरन प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य सरकारी योजनाओ के तहत पक्का मकान निर्माण आदि कर स्थाई रूप से कब्जा कर देगे तथा प्रार्थी को अपने बंट व कजा की भूमि से डण्डे के बल बाहर खदेड़ देगे, जिससे प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रूपयो पैसो में किया जाना कतई मुमकीन नही होगा।

8. यह है कि दीगर वजुहात बरवक्त बहस निवेदन किए जायेगे।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सादीर फरवाई जावे। कि वाके सरहद मौजा रीड़ियाधोरा पटवार हल्का हेमागुड़ा के खेत खसरा संख्या 169, 170, 171, 451 कुल रकबा 15.03 हैक्टर मे स्थित प्रार्थी के 1/4 हिस्सा की भूमि जिसे संलग्न प्रार्थना पत्र पेश नक्शा प्रदर्श–अ मे लाल रंग से दर्शाया ... प्रार्थी के शांतिपूर्ण उपयोग, उपभोग व कब्जा काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं किसी प्रकार की ... या नुक्शअमन ही करे तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा ... प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा अन्य किसी भी प्रकार से कोई ... निर्माण ही करे तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की ओर से वकील श्री प्रकाश विश्नोई ने वकालातनामा प्रस्तुत कर दिनांक 29.12.2017 को जवाब पेश कर वर्णित किया कि प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 1 प्रार्थी गलत होने से अस्वीकार है। अवतरण संख्या 2 सही होने से स्वीकार है। उक्त पद मे वर्णित खसरान की भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा जरूर है मगर प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा परिशिष्ट अ अनुसार नही है। अवतरण संख्या 3 इस हद तक सही है कि वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा आया हुआ है। मगर उसका बंटवाड़ा

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

मौके पर प्रार्थी द्वारा पेश नक्शा प्रदर्श अ अनुसार नही है। अवतरण संख्या 4 का जवाब इस कदर है कि आज दिन तक प्राथी सिचाई भी कर रहा है जबकि प्रार्थी उक्त बरे वाली भूमि हम अप्रार्थीगण को बंट मे देना बताता है जो गलत है। अवतरण संख्या 5 व 6 गलत होने से अस्वीकार है कि अप्रार्थीगण मौके पर हिस्से व कब्जे काश्त के अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाने हेतु तैयार है मगर प्रार्थी उस अनुसार बंटवाड़ा नही कर अपनी मनमर्जी अनुसार अप्रार्थीगण के बंट की भूमि जबरन हड़पना चाहता है अवतरण संख्या 7 गलत होने से अस्वीकार है। जवाब इस कदर है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का रेकोर्डेड खातेदार जरूर है तथा प्रार्थी का 1/4 हिस्सा भी वादग्रस्त आराजी में स्थित है मगर व मौके पर प्रार्थी द्वारा वाद व प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा प्रदर्श'अ' अनुसार नही है। प्रार्थी ने नक्शा प्रदर्श'अ' गलत पेश किया है। प्रार्थी का कब्जा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश नक्शा प्रदर्श 'ब' अनुसार है। इस प्रकार सारे कथन वाईयात व गलत लिखे है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु उक्तानुसार साबित नही हुए है। जबकि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्द अप्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अप्रार्थी संख्या 10, 11 को नाटिस तामिल होने के बावजुद अनुपस्थिति। अतः इनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल लाई गई।

पत्रावली मे उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है :—

प्रथम दृश्टया प्रकरण : प्रार्थी द्वारा इस बिन्दु को सिद्व करने के लिए नकल जमाबंदी नकल मौजा रिड़ियाधोरा के खाता संख्या 6 संवत 2072 से 2075 पेश किया। जो संयुक्त खातेदारी की है। जिसमे प्रत्येक सह खातेदार का सम्पूर्ण आराजी में प्रत्येक हक—हिस्सा निहित होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक मे है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के हक मे तय किया जाता है।

सुविधा का संतुलन : चूंकि आराजी संयुक्त है एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक मे है। अतः तथ्यो की पुनरावृति करते हुए यह बिन्दु भी प्रार्थी के हक मे तय किया जाता है।

अपूर्णीय क्षति : प्रार्थी के अनुसार विवादित आराजी संयुक्त है। जिस पर प्रत्येक सहखातेदार का समान हक हिस्सा है। अगर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी का बगैर बंटवाड़ा बैचान व खुर्दबुर्द किया जाता है तो प्रार्थी को कानूनी प्रकियाओ से गुजरना पड़ेगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।

अप्रार्थी के अनुसार प्रार्थी रेर्कोडेड खातेदार है एवं 1/4 हिस्से पर काबिज है। इस प्रकार प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार है तथा बंटवाड़ा करवाने विधिक रूप से अधिकारी है, यदि वादग्रस्त आराजी का बिना बंटवाड़ा हस्तान्तरण, खुर्दबुर्द अथवा बैचान होता है तो प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति होगी।

उक्त तथ्यों के मददेनजर अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के हक मे तय किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के हक मे तय होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद उभयपक्षकारान को मौजा रिड़ियाधोरा पटवार हल्का गुड़ाहेमा के खसरा [illegible]69, 170, 171, 451 कुल रकबा 15.03 हैक्टर आराजी पर राजस्व रेकर्ड एवं मौके [illegible] यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना—अपना वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:30 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमाना राम RAS)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

आदेश दिनांक 20/09/2023 को खुले न्यायालय मे निर्णीत कर सुनाया गया।

(हनुमाना ~~राम~~ RAS)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)